तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	08/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 20/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
	20/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 25/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
25/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 6647 दि० 28-10-24 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 1 ल० 3 पत्रावली दि० 27/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
27/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० अप्रार्थी सं. 1 ल० 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रा० पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दि० 28/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बां[illegible]कुई
28/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र धारा-251 'A' R.T. Act स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 107/2024
प्रकरण दायर दिनांक 23.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक: 28.11.2024

उनवान

1. कल्याण पुत्र भौरया
2. कैलाश पुत्र नाथू
3. जगन पुत्र नाथू
4. प्रहलाद पुत्र नाथू
5. बनवारी पुत्र नाथू
6. केसरी पत्नी नाथू
7. सुरजन पुत्र बीरबल

समस्त जाति गुर्जर
निवासी ढिगारिया टप्पाकोलेश्वर
तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामप्रताप
2. कौरी देवी पत्नी रामप्रताप
3. राजेश पुत्र रामप्रताप

समस्त जाति गुर्जर
निवासी ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर
तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

4. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अभिधारी तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र धारा 251 ''ए'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ''ए'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि भूमि काश्त खाता सं. नया 20 पुराना 22 के आराजी खसरा नं. 1501, 1502, 1504, 1505, 1509, 1510, 1511, 325, 331, 398, 399, 400, 533, 534, 585, 586, 588, 589, 591, 599, 600, 601, 602, 604, 825, 826, 901, 902 कुल किता 28 कुल रकबा 7.79 हैक्ट. वाके ग्राम ढिगारिया टप्पा कोलेश्वर तह. बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण काबिज काश्त खातेदार हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अपने खेतों में आने जाने के लिए मौके पर रास्ता जो नजरी नक्शे में ए, बी, सी, डी बरंग सुर्ख से दर्शित है, जो रास्ता सरकारी रास्ता खसरा नं. 419 जो ढिगारिया से देलाडी जाने वाले रास्ते से प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 585 में होकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 585/1544 में होकर 16 फीट चौडा रास्ता मौके पर है। जिस पर प्रार्थीगण अपनी भूमि पर मौके पर आते–जाते रहे है

Scanned with OKEN Scanner

उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने–जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नं. 585 में आने–जाने के लिए खसरा नं. 585/1554 में बरंग सुर्ख ए. बी. सी. डी के अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नं. 585 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 585/1554 में बरंग सुर्ख ए. बी. सी. डी. के अनुसार 16 फिट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नं. 585/1554 में से रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि के एवज में आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को भी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 585/1554 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 585 में आने जाने के लिए 16 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा बरंगसुर्ख ए. बी. सी. डी. से दर्शित है में रास्ता देने के लिए आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 की ओर से एड श्री ऋषिराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 585/1554 का उपयोग कभी भी रास्ते के रूप में नहीं किया है और ना ही मौके पर रास्ता मौजूद है। वादग्रस्त खसरा नं. 585/1554 अप्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण ने स्वयं के रहवास एवं पशुधन, चारा वगैरह रखने के लिए निर्माण किया हुआ है। प्रार्थीगण अपनी काश्त तक आने जाने के लिए खसरा नं 532 का उपयोग रास्ते के रूप में करते रहे हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज फरमाने की कृपा करें। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 तक की भूमि में से होकर मौके पर रास्ता चालू नहीं है। वादीगण व रास्ते के बीच कम दूरी पर ही प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का आराजी ख. नं. 585/1554 जिसकी लम्बाई 56 मी. X 4 = 224 वर्गमी. सबसे कम दूरी पर पडती है। संलग्न राजस्व जमाबंदी ग्राम ढिगारिया टप्पाकोलेश्वर संवत 2074–77 खाता संख्या नया 20 पुराना 22 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। राजस्व जमाबंदी खाता सं. नया 38 पुराना 160 अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण वकील ने बहस में अप्रार्थीगण के खसरा नं. 585/1554 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 585 में आने जाने के लिए 16 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा बरंगसुर्ख ए. बी. सी. डी. से दर्शित है में रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा RTACT की संशोधित धारा 251 "ए" खातेदार एवं काश्तकार को रास्ते की सुविधा की भावना से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार कम दूरी पर सुविधानुसार काश्तकार अपने खेतो पर सुगम तरीके से पहुंच सके। तथा तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट में अंकित रास्ता सबसे कम दूरी का प्रस्तावित होने एवं आपत्तिकर्ताओं को कोई क्षति नहीं होने के मध्यनजर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए बरूये तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रा.पत्र 251 "ए" राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 20 पुराना 22 के आराजी खसरा नं. 585 वाके ग्राम ढिगारिया टप्पाकोलेश्वर तह. बॉदीकुई में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि खसरा नं. 585/1554 में से लम्बाई 56 मी. X 4 = 224 वर्गमी. भूमि अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बॉदीकुई को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार बॉदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के संलग्न नक्शा जिसमें लाल स्याही से उक्त अवाप्त रास्ते के लिए भूमि प्रस्तावित की है को विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई